न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्याः- 14/2016
जीसीएमएस नम्बर :-2016/00121

शाकिर अली पिता समसुद्धीन, आयु 42 वर्ष, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई नगरी, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----वादी

-: बनाम :-

1- फखरुदीन पिता समसुद्धीन, आयु 58 वर्ष जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान निवासी- नई नगरी, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय **कायम मुकाम** -
1/1- इकबाल हुसैन पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/2- जाबिर अली पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/3- जहिर हुसैन पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/4- इरफान पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/5- सुरैय्या बानू पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/6- रेहाना बानू पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/7- रूकेय्या बानू पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/8- शबनम पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/9- आमना पत्नी स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
समस्त जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान निवासी- नई नगरी, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2- शहनाज पुत्री समसुद्दीन, आयु वयस्क, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई नगरी, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3- फरीदा पुत्री समसुद्दीन, आयु वयस्क, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई आबादी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4- शमीम पुत्री समसुद्दीन, आयु वयस्क, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई आबादी, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
6- राजस्थान राज्य जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

---- प्रतिवादीगण

16/4/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत् घोषणात्मक आज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–
1– श्री शिवसिंह चारण अभिभाषक वादी
2– श्री मांगीलाल सेन अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3– श्री रौनक शर्मा नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा सरकारी पैरोकार
4– श्री श्रीराम रावत तहसीलदार, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

–: निर्णय :– दिनांक

वादी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 28.03.2016 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणात्मक आज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 01.04.2016 को वाद संख्या 14/2016 बउनवानी शाकिर अली बनाम फकरूद्धीन वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादी ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि– वादी के स्वर्गीय पिता समा उर्फ समसुद्धीन को जरिये मिशल क्रमांक 51/1957 के दिनांक 15/7/1957 को ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 6734 में से 08 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसके साबिक आराजी नम्बर 6734/3 दर्ज हुए तथा आवंटन के पश्चात से ही वादी के पिता उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लगे एवं उनकी मृत्युपरान्त उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजियात पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 काबिज होकर उपयोग उपभोगरत है।

वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के परिवार का सजरा दर्ज करते हुए कथन किया कि उपरोक्तानुसार स्व.श्री समा उर्फ समसुद्दीन के दो पुत्र फखरूद्धीन और शाकिर एवं तीन पुत्रीयां शहजाद, फरीदा एवं शमीम है, जो संयुक्त रूप से उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

आराजी संख्या 6734/3 जो कि 6734 का भाग है और जिसका रकबा 08 बीघा भूमि है, जो दिनांक 15/7/1957 मिसल क्रमांक 51/1957 के निर्णय अनुसार वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन को अलोट हुई, उक्त

16/4/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अलोटमेन्ट की पत्रावली की प्रतिलिपी इस वादपत्र के साथ पेश है। वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन ने एक प्रार्थनापत्र बाबत् अलोटमेन्ट का दिनांक को पेश किया जिस पर रिपोर्ट पटवारी ली जाकर वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन को अलोटमेन्ट हेतु योग्य मानते हुए दिनांक 15/7/1957 को वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन को आराजी संख्या 6734 से 08 बीघा भूमि का अलोटमेन्ट के आदेश पारित किये गये और उसी आदेश अनुसार वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन को कब्जा सिपूर्द किया गया। जिसका पर्चा मुर्तिबा अलग से बनाया गया एवं और नक्शा ट्रेस सिपुर्दगी बनाया गया। जिसमे उक्त अलोटशुदा 08 बीघा आराजी को 6734/3 छः हजार सात सौ चौतीस/तीन के रूप में तरमीम कर दर्शाया गया। जिसकी प्रतिलिपीयों भी वादपत्र के साथ पेश है। उक्त अलोटमेन्ट आदेश अनुसार ही वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन उक्त 08 बीघा आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लगे और उनकी मृत्यु उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

अलोटमेन्ट के बाद वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन आराजी नम्बर 6734 से अलोट आराजी रकबा 08 बीघा पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करने लगे किन्तु अगली रोटेशन जमाबन्दी मे उक्त वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन को अलोटशुदा जमीन दर्ज नहीं हुई और वादी के पिता समा उर्फ समसुद्धीन इस विश्वास में ही रहे कि उक्त आराजियात उनकी अलोटशुदा है और मोके पर उनका कब्जा है तथा ग्रामीण एवं राजस्व रेकार्ड को समझने में असक्षम होने से उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो सकी और इसी दरमियान उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 उक्त आराजियात का काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस कारण से राजस्व रेकार्ड को दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

समा उर्फ समसुद्धीन को अलोटमेन्ट के बाद रोटेशन जमाबन्दी मे समा उर्फ समसुद्धीन का नाम दर्ज होने से रह गया जो कि राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियों की भूल एवं लापरवाही से दर्ज होने से रह गया है। जिसे दूरस्त किया जाकर समा उर्फ समसुद्धीन के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया

16/5/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जाना न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है। जिस हेतु यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादपत्र में वर्णित उपरोक्त आराजियात पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 ने आपसी सहमति से बंटवारा कराने हेतु पटवारी, पुर जिला भीलवाड़ा से सम्पर्क किया तो पटवारी ने बताया कि राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम अकित नहीं आ रहा है। जिस पर दिनांक 01/09/2015 को राजस्व रेकार्ड की नकले हेतु आवेदन कर दिनांक 18/09/2015 को नकले प्राप्त की। नकले प्राप्त की तब वादी को पता चला कि उपरोक्त आराजियात विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी उचित कारण के उक्त जायदाद अलोटमेन्ट के बाद अगली जमाबन्दी मे बिलानाम सरकार दर्ज हो गई। उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम सरकार के नाम पर दर्ज होने की प्रथम बार जानकारी हुई और जानकारी होते ही उक्त वादपत्र अविलम्ब पेश है। इस कारण न्यायहित में उपरोक्त आराजियात को पुनः वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित करवाया जाना आवश्यक है।

यदि प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को बेदखल कर देगे तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को विवादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व नहीं किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण खुर्द बुर्द करे तथा वादी को अपने हक हिस्से का शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वंय पैदा करे व नहीं किसी अन्य से करावें।

वादपत्र में वर्णित आराजियात में वादपत्र में वर्णित पारिवारिक सजरे के अनुसार अपनी कृषि भूमि पर अपने हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले तदनुसार धौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद प्रतिवादी संख्या 05 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

16/4/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध विनाय वाद दिनांक 01/09/2015 से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

वादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

उक्त मामले मे प्रतिवादी संख्या 05 राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादी नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इन्तजार करेगा तो इससे पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर देगें व खुर्द बुर्द कर देगें तो वादी का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। ऐसी सूरत मे बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश है व धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

वाद निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। वादपत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वादपत्र की ताईद में वादी का शपथ पत्र पेश है। वादपत्र नियमानुसार दो प्रतियो में पेश है। प्रतिवादीगण को सूचनार्थ सम्मन प्रोसेस नकल वादपत्र साथ में पेश है।

अतः सादर प्रार्थना है कि :-

(1) वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित उपरोक्त विवादित आराजियात की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 खातेदार काश्तकार घौषित किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दूरस्त किया जावे एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का वादपत्र में वर्णित पारिवारिक सजरे के अनुसार हक हिस्सा निहित है, वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित सजरे के अनुसार कृषि आराजियात पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 05 सादिर पारित फरमायी जावे।

(2) बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त आराजियात से उसके हक हिस्से से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग

16/11/16

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

करने देवे व विवादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तान्तरण खुर्द बुर्द नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावे।

हर्जा खर्चा मुकदमा मय महनतान वकील एवं अन्य जो भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में दिलाना उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2016 को वाद दर्ज रजिस्टर कर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिवादीगण को जरिये तलबाना तलब करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 10.05.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने इकबालिया जवाबदावा पेश करते हुए कथन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार्य है तथा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य व सजरा सही होकर स्वीकार है तथा वाद पत्र की मद संख्या 3 लगायत 9 सही होकर स्वीकार है तथा वाद पत्र की चरण संख्या 10 ता 16 कानूनी होकर जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र के अन्त में जो प्रार्थना दर्ज की गई है वो सही तथ्यो पर आधारित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा जवाब के समर्थन में प्रतिवादीगण का शपथ पत्र पेश है। अतः निवेदन है कि स्वीकार्य जवाब रेकार्ड पर लिया जावे।

दिनांक 25.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार ने अपने जवाबदावा में इस आशय का कथन किया कि- वादपत्र की चरण संख्या 01 में समा उर्फ समशुद्धीन को मिशल क्रमांक 51/1957 से दिनांक 15.07.1957 को ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 6734 में से 08 बीघा भूमि आंवटित रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है।

वादपत्र की चरण संख्या 02 में वादी ने अपने परिवार का सजरा बताया है।

वादपत्र की चरण संख्या 03 में शेर मोहम्मद उर्फ शेर अली को मिसल क्रमांक 51/1951 से आराजी संख्या 6734 में से 08 बीघा भूमि समा उर्फ समशुद्धीन को अलोट बाबत् अलोटमेन्ट आदेश पारित होना, जिसका पर्चा मुर्तिब बनाया जाना और नक्शा ट्रेस सिपूर्दगी बनाया जाकर अलोटशुदा भूमि को आराजी संख्या 6734/3 के रूप मे तरमीम किया जाना रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। जिसके हाल आराजी संख्या 7657, 7658, 7659 है।

16/4/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र की चरण संख्या 04, 05 व 07 वादी स्वंय साबित करावें। वादपत्र की चरण संख्या 06 रेकार्ड के अनुसार सही है, शेष तथ्य वादी स्वंय साबित करावें। वादपत्र की चरण संख्या 08 लगायत 16 कानूनी है।

वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के खण्डन मे जवाबदाता का शपथपत्र पेंश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत जवाब रेकार्ड पर लिवाया फरमाया जावें।

दिनांक 08.07.2022 को पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो के आधार पर दादरसी सहित कुल 3 तनकीयात कायम की गई जो निम्नलिखित है–

1– आया समा उर्फ समशुदीन को मिसल क्रमांक 51/1957 से दिनांक 15.07.1957 को ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 6734 में से 8 बीघा भूमि आवंटित हुई। यउक्त अलोटशुदा भूमि को आराजी संख्या 6734/3 के रूप में तरमीम हुई जो अलोटमेण्ट के बाद रोटेशन जमाबन्दी में समा उर्फ समशुदीन का नाम दर्ज होने से रह गया है जो आवंटी के वारिसान के नाम दर्ज किया जाकर खातेदारी काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है? **––जिम्मे वादी**

2– आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है? **––जिम्मे वादी**

3– अनुतोष?

प्रकरण में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 28.08.2023 को साक्ष्य वादी पूर्ण होने व वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई और प्रकरण में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई।

दिनांक 13.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भीलवाड़ा को पत्र जारी करने के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 10.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि फकरूद्धीन की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया है जिससे उसके वारिसान सहमत है, उनकी ओर से भी वही जवाब माना जावे।

दिनांक 20.10.2023 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक फकरूद्धीन के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संशोधित उनवान पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

दिनांक 12.04.2024 को प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में जैरकार है। सरकारी पैरोकार उपस्थित, जिन्हें सरकार की ओर से साक्ष्य कराने के निर्देश दिये गये। न्यायालय द्वारा तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन को गलत मानते हुए आदेश पारित किया कि वादग्रस्त भूमि सन् 2014

16/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम हो गई। वादी ने वाद वर्ष 2016 में पेश किया। वाद पत्र में वादी ने यु0आई0टी0 को पक्षकार नहीं बनाया। वादी साबिक आराजी नम्बर 6734 में 8 बीघा भूमि समा पिता चिराग अली के नाम आवंटन होना बताया। जवाब वाद पत्र शाकीर अली पिता समसूदीन के नाम से प्रस्तुत किया। आंवटी समा के फौत होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। इसकी भी जाँच अपेक्षित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/9, 2, 3 व 4 समा पुत्र चिराग अली मेवाती नि0 पुर के वारिस है या नहीं, तहसीलदार विस्तृत जाँच करे। इसके साथ ही वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 6734 में है कि आराजी नम्बर 7657, 7658, 7659 पर कब्जा मौके पर किसका है, इसकी भी जांच तहसीलदार प्रस्तुत करे। वादग्रस्त आराजी नम्बर 6734 कस्टोडियन भूमि है या नहीं। इसकी भी जांच तहसीलदार भीलवाड़ा करे। उपरोक्तानुसार तहसीलदार भीलवाड़ा को पत्र जारी कर रिपोर्ट तलब करे।

दिनांक 24.05.24 को तहसीलदार, भीलवाड़ा से पत्र दिनांक 16.04.2024 के अनुक्रम में रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार, भीलवाड़ा ने दर्ज किया कि- उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में पटवारी हल्का से जांचकर, जांच रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार समा पिता चिराग अली मेवाती निवासी पुर की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान में दो पुत्र, तीन पुत्रियां है, जिसमें से एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है जिसके चार पुत्र, चार पुत्रियां है व एक पत्नि जीवित है। मौका पर्चा मय सजरा साथ में संलग्न है। ग्राम पुर की आराजी नम्बर 7658, 7659, 7657 पर वर्तमान में कस्टोडियन का नोट नहीं लगा हुआहै। यह आराजीयात नगर विकास न्यास के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है। संलग्न- उक्तानुसार रिपोर्ट पटवारी मय मौका परचा सजरा।

दिनांक 10.06.2024 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया गया तथा दिनांक 10.06.2024 को ही प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात में कमिश्नर नियुक्त करा, मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 10.06.2024 को दोनों प्रार्थना पत्रो पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई और दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाये गये। निर्णय शामिल पत्रावली है। पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते प्रतिवादी संख्या 6 की तलबी हेतु सम्मन जारी करने, प्रतिवादी संख्या 6 के जवाब व कमिशनर की रिपोर्ट तलबी हेतु नियत की गई।

दिनांक 03.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 6 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 6 उपस्थित नहीं और न ही जवाब पेश हुआ। अन्तिम अवसर दिया गया। वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत

16/7/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

की गई। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है, अतः वादी की साक्ष्य बन्द की गई।

उप तहसीलदार कारोई से मौका रिपोर्ट दिनांकित 27.06.2024 प्राप्त हुई। जिसमें अंकित किया गया कि- ग्राम पुर की आराजी नम्बर 7657, 7658, 7659 की मौका रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न है-

1- ग्राम पुर की आराजी नम्बर 7657, 7658, 7659 रकबा क्रमशः 0.3920 किस्म नहरी-द्वितीय, 0.8725 किस्म बंजड़, 0.3761 किस्म बंजड़ वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार नगर विकास न्यास (यु.आई.टी.) भीलवाड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है।

2- उपरोक्त आराजीयात पर चारो ओर खाई खुदी होकर मेड़बन्दी हो रखी है।

3- उपरोक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होकर पड़त भूमि होकर आराजी नम्बर 7659 के कुछ भाग पर अंग्रेजी बम्बूल उगे हुए है।

4- मौके पर जानकारी अनुसार उपरोक्त आराजीयात पर वर्तमान में शाकीर अली पिता समसुद्दीन मेवाती निवासी पुर व फकरूद्दीन पिता समसुद्दीन के वारिसान का कब्जा हो रखा है।

5- उपरोक्त आराजीयात से मौका व कब्जा की जाँच कर मौके पर पर्चा मौका व नजरी नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न रिपोर्ट है।

अतः उक्तानुसार मय नजरी नक्शा व पर्चा मौका व रेकार्ड की प्रति के रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

दिनांक 06.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने जवाबदावा में इस आशय का कथन किया कि- वाद पत्र की धारा संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। विवादित आराजी न्यास के नाम पर दर्ज है। वाद पत्र की धारा संख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की धारा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की धारा संख्या 4 जिस कदर अंकित की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। विवादित आराजी न्यास के नाम पर दर्ज है तथा न्यास ही उसकी मालिक एवं काबिज है। वाद पत्र की धारा संख्या 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की धारा संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। वादी को सभी रिकॉर्ड की जानकारी थी। वाद पत्र की धारा संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। वादी को किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं होगी, ना ही वादी प्रतिवादीगण संख्या 4 को किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वाद पत्र की धारा संख 8 गलत होने से अस्वीकार है। वादी किसी भी प्रकार घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की धारा संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार है। वादी को दिनांक 01.09.2015 या अन्य किसी

16/5/24

सहायक कलक्टर

तारीख मिति को कोई कारणवाद न तो उत्पन्न हुआ है, न जारी है, कारण वाद के अभाव में वादी का वाद पत्र निरस्तनीय है। वाद पत्र की धारा संख्या 10 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की धारा संख्या 11 गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र एवं धारा 98 नगर सुधार अधिनियम का नोटिस नहीं देने से उक्त वाद निरस्तनीय है। वाद पत्र की धारा संख्या 12 एवं 13 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 14 का उत्तर है कि वादी ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके खण्डन में शपथ पत्र पेश है। वाद पत्र की धारा संख्या 16 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की के अन्त में प्रार्थना है कि अस्वीकार फरमाया जाकर दावा निरत किया जाना योग्य है। वादी इस धारा में वर्णितानुसार कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। **मजीद कथन में अंकित किया कि–** वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 को धारा 98 नगर सुधार अधिनियम का नोटिस नहीं दिया इसलिये उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 राजकीय पक्ष है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 के तहत 2 माह का नोटिस दिलाया जाना कानूनन अनिवार्य है किन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई नोटिस दिलाये बिना ही यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे।

दिनांक 27.03.2025 को पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो के आधार पर दादरसी सहित कुल 5 तनकीयात कायम की गई जो निम्नलिखित है–

1. आया कि ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 6734 में से 8 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज को आवंटित होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार घोषित होने तथा घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी घोषित कराने के अधिकारी है? .....**जिम्मे वादी**

2. आया कि वादग्रस्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न नहीं करने, भूमि का अंतरण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के वादीगण अधिकारी है? .....**जिम्मे वादी**

3. आया कि वादग्रस्त भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज होने से नगर सुधार अधिनियम की धारा 98 का नोटिस नहीं दिये जाने से वादी का वाद काबिले खारिज है? -------**जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6**

16/5/26

सहायक कलक्टर

4. आया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है? --------**जिम्मे प्रतिवादी संख्या 5**

5. दादरसी

दिनांक 09.05.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य पत्रावली में रिकार्ड पर होने से नवीन साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन किया तथा पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य को ही मानने एवं निर्णय हेतु पढने का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा रिबट्ल रिजर्व रखते हुए साक्ष्य वादी बन्द करने तथा पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। जिस पर वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यु-1 शकिर अली पिता समसुद्वीन का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त साक्षी को परीक्षित करवाया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये-

प्रदर्श-1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमीन के अलोटमेन्ट संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.1957 मय उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर आवंटन आदेश

प्रदर्श-2 प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी रिपोर्ट अन्तर्गत प्रकरण संख्या 51/57 उनवान समा पुत्र चीरागअली मेवाती निर्णय दिनांक 15.06.1957 न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा।

प्रदर्श-3 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस प्रकरण संख्या 51/57 निर्णय दिनांक 15.06.1957 न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रदर्श-4 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.1957 मय कार्यालय ग्राम पंचायत पुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.1957

प्रदर्श-5 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025

प्रदर्श-6 प्रमाणित प्रतिलिपि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान फार्म नम्बर 1

दिनांक 27.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 1(3) जा0दी0 प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अनापति अंकित की गई। आदेश दिनांक 27.05.2025 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को अभिलेख पर लिया गया।

16/10/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के साक्षियो से जिरह नहीं करने के कारण जिरह बन्द की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से मौखिक साक्ष्य में 1-आरिफ अली सैय्यद पुत्र अख्तर अली सैय्यद, 2-खुर्शीद आलम खान पिता अब्दुल गफूर, 3-अख्तर अली सैय्यद पुत्र सरदार अली सैय्यद, 4-जावेद अली पिता अय्युब अली, 5-इकबाल पुत्र फखरूद्दीन के शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत करके उक्त गवाहान् का मुख्य परीक्षण करवाया गया परन्तु वादी की ओर से वादी के किसी भी गवाहान से जिरह नहीं की गई।

दिनांक 11.07.2025 को प्रतिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश करने से इन्कार करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार की ओर से- मौखिक साक्ष्य में चेतनप्रकाश पिता राधेश्याम श्रीमाली हाल भू0अ0 निरिक्षक पुर को परीक्षित करवाया गया तथा **दस्तावेजी साक्ष्य में** निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये-

प्रदर्श डी-1 नायब तहसीलदार, कारोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 27.06.2024

प्रदर्श डी-2 मौका पर्चा मौजा पुर दिनांकित 21.06.2024

प्रदर्श डी-3 नजरी नक्शा ग्राम पुर आराजी नम्बर 7657, 7658 एवं 7659

उभय पक्षकारान् की बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर 1 ता 4 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 व 6 डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

सरकारी पैरोकार की ओर से वादी के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी गईग कि तनकी नम्बर 1 ता 4 वादी के पक्ष में साबित नहीं है, इत्यादि तर्को के आधार पर वादी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस पवर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तनकीवार विवेचन व विश्लेषण किया जाना उचित समझते है।

सर्वप्रथम कानूनी तनकी नम्बर 3 को निर्णीत किया जा रहा है।

तनकी नम्बर-3 आया कि वादग्रस्त भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज होने से नगर सुधार अधिनियम की धारा 98 का नोटिस नहीं दिये जाने से वादी का वाद काबिले खारिज है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 6 के जिम्मे रखा गया है। पत्रावली पर वादी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो कि वादी ने वाद संस्थित करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 6 नगर

16/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विकास न्यास, भीलवाड़ा को 2 माह की अवधि का नोटिस अन्तर्गत धारा 98 नगर सुधार अधिनियम/नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत दिया गया हो। आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार संयोजित करने के पश्चात आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के प्रावधानो के तहत संशोधित दावा पेश नहीं किया तथा प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। उक्त नोटिस की छूट प्राप्त करने हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी ने विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना किये बिना ही वाद संस्थित किया है जो आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है। इस प्रकार तनकी नम्बर 3 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत दो माह की अवधि का नोटिस दिये बिना ही वाद संस्थित किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 पेश कर उक्त नोटिस की छूट प्राप्त करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में मामला आवश्यक प्रकृति का होना कथन किया है परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का कैसे है, इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य वर्णन नहीं किये है। न ही प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण उल्लेख किया है। वादी का उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 भी अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

तनकी नम्बर 1– आया कि ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 6734 में से 8 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज को आवंटित होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार घोषित होने तथा घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी घोषित कराने के अधिकारी है? इस तनकी का साबित करने का भार वादी के जिम्मे रखा गया है।

तनकी नम्बर 4– आया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 5 के जिम्मे रखा गया है।

तथ्यो की पुनरावृति पर अंकुश लगाने के आशय से उक्त वर्णित तनकीयात को एकसाथ निर्णीत किया जा रहा है।

वादी ने दिनांक 28.03.2016 को वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणात्मक आज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा प्रस्तुत किया था। वादी ने अपने वाद पत्र में स्व0 पिता समा उर्फ समसुद्धीन को जरिये मिसल संख्या 51/1957 दिनांक

16/5/26

सहायक कलक्टर

15.07.1957 के जरिये ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 6734 में से 8 बीघा भूमि आवंटन होने तथा आराजी संख्या 6734/3 को आराजी नम्बर 6734 का भाग होना कथन करते हुए पारिवारिक सजरे के आधार पर घोषणात्मक दावा पेश किया है तथा वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यु-1 शकिर अली पिता समसुद्धीन का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त साक्षी को परीक्षित करवाया गया और दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श-1** प्रमाणित प्रतिलिपि जमीन के अलोटमेन्ट संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.1957 मय उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर आवंटन आदेश तथा **प्रदर्श-2** प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी रिपोर्ट अन्तर्गत प्रकरण संख्या 51/57 उनवान समा पुत्र चीरागअली मेवाती निर्णय दिनांक 15.06.1957 न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा तथा **प्रदर्श-3** प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस प्रकरण संख्या 51/57 निर्णय दिनांक 15.06.1957 न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा तथा **प्रदर्श-4** प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.1957 मय कार्यालय ग्राम पंचायत पुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.1957 तथा **प्रदर्श-5** प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 तथा **प्रदर्श-6** प्रमाणित प्रतिलिपि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान फार्म नम्बर 1 को प्रदर्शित करवाया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की थी। सरकारी पैरोकार की ओर से दिनांक 12.04.2024 को पत्रावली पर सूची दस्तावेजात् के साथ प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2063 से 2070 में दर्ज प्रविष्टियो के आधार पर न्यायालय के संज्ञान में आया कि राजस्व ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 7657, 7658, 7659 कुल किता 3 कुल रकबा 6.05 बीघा कॉलम संख्या 4 में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 7119 दिनांक 23.04.2014 द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम स्वीकृत होकर खातेदारी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादी ने जानबुझकर दावा दायरी दिवस के राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो से संबंधित तथ्य व दस्तावेजो एवं वास्तविक तथ्यो को छुपाकर दावा पेश किया था।

दिनांक 12.04.2024 को प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में जैरकार था। सरकारी पैरोकार उपस्थित, जिन्हें सरकार की ओर से साक्ष्य कराने के निर्देश दिये गये। न्यायालय द्वारा तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन को गलत मानते हुए आदेश पारित किया कि वादग्रस्त भूमि सन् 2014 में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम हो गई। वादी ने वाद वर्ष 2016 में पेश किया। वाद पत्र में वादी ने यु0आई0टी0 को पक्षकार नहीं बनाया। वादी साबिक आराजी नम्बर 6734 में 8 बीघा भूमि समा पिता चिराग अली के नाम आवंटन होना बताया। जवाब वाद पत्र शाकीर अली पिता समसुदीन के नाम से प्रस्तुत

16/5/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

किया। आंवटी समा के फौत होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। इसकी भी जाँच अपेक्षित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/9, 2, 3 व 4 समा पुत्र चिराग अली मेवाती नि0 पुर के वारिस है या नहीं, तहसीलदार विस्तृत जाँच करे। इसके साथ ही वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 6734 में है कि आराजी नम्बर 7657, 7658, 7659 पर कब्जा मौके पर किसका है, इसकी भी जांच तहसीलदार प्रस्तुत करे। वादग्रस्त आराजी नम्बर 6734 कस्टोडियन भूमि है या नहीं। इसकी भी जांच तहसीलदार भीलवाड़ा करे। उपरोक्तानुसार तहसीलदार भीलवाड़ा को पत्र जारी कर रिपोर्ट तलब करे।

दिनांक 24.05.24 को तहसीलदार, भीलवाड़ा से पत्र दिनांक 16.04.2024 के अनुक्रम में रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार, भीलवाड़ा ने दर्ज किया कि- उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में पटवारी हल्का से जांचकर, जांच रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार समा पिता चिराग अली मेवाती निवासी पुर की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान में दो पुत्र, तीन पुत्रियां है, जिसमें से एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है जिसके चार पुत्र, चार पुत्रियां है व एक पत्नि जीवित है। मौका पर्चा मय सजरा साथ में संलग्न है। ग्राम पुर की आराजी नम्बर 7658, 7659, 7657 पर वर्तमान में कस्टोडियन का नोट नहीं लगा हुआहै। यह आराजीयात नगर विकास न्यास के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है। संलग्न- उक्तानुसार रिपोर्ट पटवारी मय मौका परचा सजरा।

दिनांक 10.06.2024 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया गया। उभय पक्षकारान् की बहस सुन कर आदेश दिनांक 10.06.2024 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये। वादी ने अपने वाद पत्र में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को जानबुझकर पक्षकार संयोजित नहीं किया था। वादी ने आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के तहत संशोधित दावा पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध कोई वादहेतुक वाद पत्र में वर्णित नहीं है। वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा गया है वह प्रतिवादी संख्या 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा के विरूद्ध चाहा गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 6 नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि वादी ने अपने पिता समा उर्फ समसुद्दीन के नाम से विवादित भूमि आवंटन होने तथा प्रदर्श-5 जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 में खातेदारी प्रविष्टि दर्ज होने का कथन किया है। आवंटी के पक्ष में गैरखातेदारी का

16/5/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ अथवा नहीं, इसका उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया। तत्पश्चात आवंटी के पक्ष में गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ अथवा नहीं, इसका भी उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया। प्रदर्श पी-5 जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 में किस आधार पर वादी के पिता (आवंटी) का नाम दर्ज हुआ, इसका भी स्पष्टीकरण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वादी का दावा वेग प्लीडिंग पर आधारित है।

वादी ने वास्तविक तथ्य व दस्तावेजो को छुपाकर दावा पेश किया है। वादी नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आया है। सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (1996)5 एस.सी.सी. पेज 589 बउनवानी **Loundu Mari David & oth. V/s Louis Chinnay Arogiaswamy & oth.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.08.1996 पारित फरमा कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- **Plantiff seeking equitable relief of specific performance should come before Court with clean hand- Division Bench of High Court finding that plaintiff-petitioner's case was based on certain false and incorrect facts. In other words the party who make false allegations dava not come with clean hands is not entitlled to the equitable relief.** माननीय सर्वोच्च द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर भी वादी का दावा अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 1 व 4 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 2- आया कि वादग्रस्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न नहीं करने, भूमि का अंतरण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के वादीगण अधिकारी है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे रखा गया है। तनकी नम्बर 1 व 3 की विवेचना में स्पष्ट किया जा चुका है कि वादी नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आया है और वादी ने विधि के अनिवार्य प्रावधानो की पालना भी नहीं की है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 6 रिकार्डेड खातेदार है। वादी का विवादित भूमि पर विधिक कब्जा प्रमाणित नहीं है। वादी यदि विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तो भी अतिक्रमी का कोई विधिक अधिकार विवादित भूमि में निहित होना नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में

16/5/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। वैसे भी प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध वाद पत्र में वादहेतुक दर्ज नहीं है और ना ही कोई अनुतोष चाहा गया है। न ही संशोधित दावा पेश किया गया है।

अतएव तनकी नम्बर 2 वादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 1, 2, 3 व 4 वादी के विरूद्ध निर्णीत हुई है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणात्मक आज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/26 को सरे इजलास में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

16/5/26

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्याः– 14/2016
जीसीएमएस नम्बर :–2016/00121

शाकिर अली पिता समसुद्धीन, आयु 42 वर्ष, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई नगरी, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) **----वादी**

–: बनाम :–

1- फखरुदीन पिता समसुद्धीन, आयु 58 वर्ष जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान निवासी- नई नगरी, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय **कायम मुकाम -**
1/1- इकबाल हुसैन पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/2- जाबिर अली पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/3- जहिर हुसैन पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/4- इरफान पुत्र स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/5- सुरैय्या बानू पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/6- रेहाना बानू पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/7- रूकेय्या बानू पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/8- शबनम पुत्री स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
1/9- आमना पत्नी स्व० श्री फखरुदीन आयु वयस्क
समस्त जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान निवासी- नई नगरी, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

2- शहनाज पुत्री समसुद्दीन, आयु वयस्क, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई नगरी, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3- फरीदा पुत्री समसुद्दीन, आयु वयस्क, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई आबादी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

4- शमीम पुत्री समसुद्दीन, आयु वयस्क, जाति सैय्यद (मेवाती) मुसलमान, निवासी नई आबादी, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

5- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

6- राजस्थान राज्य जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

16/4/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

---- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत् घोषणात्मक आज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी 16/4/26 मिनजानिब मुद्धई रूबरू --उभयपक्षकारान मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

अतएव निर्णय में वर्णितानुसार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 1, 2, 3 व 4 वादी के विरूद्ध निर्णीत हुई है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणात्मक आज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग---------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ----------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 16/4/26 को जारी की गई।

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प अर्जीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महनताना वकील	—	—	महनताना वकील	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—
हुक्मनामा	—	—	हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—

16/4/26

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर भीलवाड़ा